हिमाचल प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग

संख्याः टी.पी.टी.–एफ(2)–2/2021–III **तारीख, शिमला–171002, 29-03-2023**

प्रारंभिक अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि **भानुपल्ली–बिलासपुर–बैरी न्यु ब्रॉड गेज रेलवे लाईन** (52.0 कि0मी0 से 63.0 कि0मी0) के सन्निर्माण हेतु तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के 10 गांवों की कुल 538–13–5 बीघा (40.54 हैक्टेयर) भूमि लोक व्यय पर लोक प्रयोजन हेतु अर्जन की जानी अपेक्षित है। परियोजना से बहुविध प्रयोजनों को पूरा करने के आशय से, जैसे क्षेत्रीय विकास, पर्यटन का समन्वेषण करना, परिवहन की भीड–भाड और यानों के प्रदूषण को कम करना, राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क को क्षेत्र के साथ जोडने के साथ–साथ लेह की ओर सामरिक प्रयोजनों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ प्रवेश द्वार के रूप में जोडने से औद्योगीकीकरण, पर्यटन, लघु और मध्यम कारबार उद्यमों और व्यापार के संवर्धन द्वारा हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में परिवर्तन सम्भाव्य है।

परियोजना के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण (एस0आई0ए0) द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कार्यन्वित किया गया था और इसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गई थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विशेषज्ञ समूह से सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का अंकन निर्धारण संचालित करवाया था जिसे भी सरकार को प्रस्तुत किया गया था। सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्रतियों के साथ–साथ विशेषज्ञ समूह की अंकन रिपोर्ट की प्रतियां भी प्रभावित ग्राम पंचायतों को प्रदत्त की गई थी।

एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि **उपबन्ध–"ख"** पर विनिर्दिष्ट क्षेत्र में भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए संभाव्य अपेक्षित है।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार निम्नानुसार हैः–

"भानुपल्ली–बिलासपुर–बैरी न्यु ब्रॉड गेज रेल परियोजना क्षेत्र को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोडेगी। यह परियोजना निश्चित रूप से क्षेत्र में

–2/–

सुविधाओं में सुधार की दिशा में एक कदम है और लम्बे समय में क्षेत्र, राज्य और देश के समग्र विकास में योगदान देगी। तथापि, पी.ए.एफ. (परियोजना प्रभावित कुटुंब) के सामने आने वाली विस्थापन के कारण चुनौतियों और समस्याओं को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है और उचित शमन की आवश्यकता है (इस मामले में आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम के अनुसार प्रतिकर)। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है और प्रत्येक पी.ए.एफ. रेलवे लाईन के निर्माण का समर्थन करता है बशर्ते कि उनके पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की मांगें, उचित प्रतिकर और उनके द्धारा उठाये गये मुद्दों और चिन्ताओं व समस्याओं का समय पर समाधान हो। चूंकि यह परियोजना सार्वजनिक प्रयोजन की पूर्ति करती है और एस.आई.ए. टीम द्धारा भूमि अधिग्रहण के लिए सार्वजनिक सुनवाई के दौरान पी.ए.एफ की शत प्रतिशत सहमति है, इसलिए भूमि अधिग्रहण की सिफारिश करती है।"

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भू–अर्जन अधिकारी (रेलवे), बिलासपुर के कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेख के अनुसार किसी भी परिवार का इस भू–अर्जन से विस्थापन होने के सम्भावना नहीं है।

परिवारों के विस्थापन के दृष्टिगत, यदि कोई हो, अतिरिक्त उपायुक्त, जिला बिलासपुर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना हेतु जिला बिलासपुर के 10 गांवों में, मानक माप 538–13–5 बीघा रकबे की भूमि (40.54 हैक्टेयर), जिसका ब्यौरा और वर्णन **उपबन्ध–"ख"** में है, अधिग्रहणाधीन है।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने कर्मचारिवृन्द और कर्मकारों के साथ वचनबंध में तत्समय भू–अर्जन में लगे अधिकारी को उक्त क्षेत्र में किसी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा इस धारा द्धारा अपेक्षित या अनुज्ञात समस्त अन्य कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत करते है।

–3/–

अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कार्यालय समाहर्ता, (कलक्टर), के पूर्व अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा अर्जन के बारे जैसे प्रतिकर के संदाय उपार्जन (कमाई) के नुकसान, फसलों के नुकसान, पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन आदि के बारे में उपायुक्त एवं समाहर्ता (कलक्टर), के सहायक आयुक्त–भू–अर्जन (रेलवे), व्यास सदन, तहसील सदर जिला बिलासपुर हि0प्र0 के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, दायर किए जा सकेंगे।

भूमि के रेखांकन (प्लान) का निरीक्षण – उपायुक्त एवं समाहर्ता (कलक्टर) के सहायक आयुक्त भू–अर्जन (रेलवे), व्यास सदन, तहसील सदर जिला बिलासपुर हि0प्र0 के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान किया जा सकता है।

आदेश द्वारा

(आर. डी. नजीम)
प्रधान सचिव (परिवहन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्याः टी.पी.टी.–एफ(2)–2/2021–III तारीखःशिमला–02 29-03-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित हैः–

1. प्रधान सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002।
2. मण्डलायुक्त, मण्डी, हिमाचल प्रदेश ।
3. निदेषक परिवहन, परिवहन भवन, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171004 को इस आशय से प्रेषित है कि इस अधिसूचना को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें।
4. निदेशक, सूचना एवं सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002।
5. उपायुक्त, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को उनके बी0एल0एस0एल.ए.ओ.

–4/–

(रेलवे)–7(1)/2021–205 दिनांक 21 फरवरी, 2023 के सन्दर्भ में उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत व्यापक प्रचार एवं प्रसार तथा अग्रिम कार्रवाई हेतु।

6. अध्यक्ष, सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान फेयरलॉन, शिमला–171012 ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, आर.टी.डी.सी., शिमला को इस आशय के साथ प्रेषित है कि इस अधिसूचना को वैबसाईट पर अपलोड करें।
8. मुख्य महाप्रबन्धक, रेल विकास निगम लिमिटेड, रेलवे भर्ती बोर्ड भवन, रेलवे कॉलोनी, नजदीक रेलवे स्टेशन, चण्डीगढ़–160062।
9. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
10. उप मण्डल अधिकारी (ना), तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
11. भू–अर्जन अधिकारी, (रेलवे) बिलासपुर, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश को व्यापक प्रचार एवं प्रसार, दैनिक समाचार में प्रकाशन तथा अग्रिम कार्रवाई हेतु।
12. तहसीलदार, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
13. गार्ड फाईल।

(सुशील कुमार)
अवर सचिव (परिवहन)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दूर0 0177–2880895

अनुलग्नक–"क"

भानुपल्ली–बिलासपुर–बेरी, नई ब्रॉड गेज रेल लाइन(52.0 कि0मी0 से 63.0 कि0मी0), जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक समाघात प्रभाव आंकलन अध्ययन रिपोर्ट का विस्तृत सार।

हिमाचल प्रदेश हिमालयी क्षेत्र में स्थित है और पानी के प्राकृतिक स्त्रोतों से संपन्न है, सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी और यमुना जैसी नदियों की सहायक नदियाँ राज्य से होकर बहती हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य में मौजूदा रेलवे नेटवर्क ब्रिटिश काल का है जब इसे मुख्य रूप से पर्यटन के उद्देश्य से विकसित किया गया था। यह क्षेत्र राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा नहीं है। भारत सरकार ने पंजाब के भानुपल्ली से हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में बिलासपुर–बैरी के बीच एक नई ब्राड गेज रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है जिसकी अनुमानित लागत 6700 करोड़ रुपये है। प्रस्तावित नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन कई उद्देश्यों की पूर्ति करेगी जैसे क्षेत्रीय विकास, पर्यटन, राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क के साथ क्षेत्र की कनेक्टिविटी के साथ–साथ रणनीतिक उद्देश्यों के लिए लेह की ओर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को जोड़ने के लिए प्रवेश द्वार। इस परियोजना से औद्योगीकरण, पर्यटन, लघु और मध्यम व्यापार उद्यमों और व्यापार को बढ़ावा देकर हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदलने की भी संभावना है।

रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल), रेल मंत्रालय को सर्वेक्षण, डिजाइन, योजना और कार्य के निष्पादन का जिम्मा सौंपा गया है। उत्तर रेलवे के सरहिंद–नंगल बांध खंड के मौजूदा भानुपल्ली स्टेशन (पंजाब) पर मौजूदा रेलवे लाइन से प्रस्तावित रेल लिंक शुरू होगा। प्रस्तावित रेल लाइन पंजाब राज्य की सीमा को पार करेगी और हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित बिलासपुर के रास्ते बैरी पहुंचेगी। इस परियोजना के पूरा होने पर बिलासपुर, बैरी और इस लाइन के साथ अन्य क्षेत्र देश के बाकी हिस्सों में रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे, जिससे हिमाचल प्रदेश के इस हिस्से को काफी फायदा होगा। आम जनता के अलावा, बरमाणा में सीमेंट फैक्ट्री, बिलासपुर, बैरी और सुंदरनगर के आसपास सब्जियों और फूलों की खेती करने वाले किसानों के साथ–साथ कुल्लू घाटी के सेब के बागवान इस रेल परियोजना के विशेष लाभार्थी होंगे क्योंकि सड़क परिवहन पर उनकी निर्भरता उनके विपणन के लिए है। उत्पादन उत्पादों में सडक मार्ग से ले जाने में काफी गिरावट आएगी। भविष्य में, इस क्षेत्र में देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षा बलों की परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए रेलवे लाइन को लेह तक विस्तारित करने का भी प्रस्ताव है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस स्थान पर परिवहन के तेज और हर मौसम में विश्वसनीय साधन की आवश्यकता सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों और उपकरणों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक है।

10 गांवों में कुल 538–13–5 बीघा (40.54 हेक्टेयर) निजी भूमि 1. नोग 2. बल्ही बिल्ला 3. बलही झलेडा 4. भराथु 5. बघडी, 6. बैरी रजादयां, 7. खतेड 8. भटैड उपरली 9.

बरमाणा 10. मण्डी, तहसील तहसील सदर, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में अर्जित की जानी होगी।

अधिनियम 2013 सार्वजनिक उद्देश्य के रूप में आठ प्रकार के भूमि अधिग्रहण को परिभाषित करता है, जिनमें से एक है सरकार या सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा उपयोग के लिए रेलवे, राजमार्ग, बंदरगाहों, बिजली और सिंचाई उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के रूप में भी जाना जाता है) और विशेष वाक्यांश जनता को सामान्य लाभ अर्जित करना, सार्वजनिक हित का उपयोग करने वाला अधिनियम संतुष्ट होगा, भले ही निजी उद्योग उक्त परियोजनाओं में से एक के लिए भूमि का अधिग्रहण करता हो, बशर्ते कि जनता को सामान्य लाभ मिले।

इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम) के अनुसार किया जाएगा, जिसे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के साथ पढ़ा जाएगा। और पुनर्वास (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियम, 2015 (इसके बाद 2015 के हिमाचल प्रदेश नियम के रूप में संदर्भित)। 2013 के अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, धारा 11, अधिनियम 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण अधिसूचना शुरू करने से पहले एक सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाना आवश्यक है। हि0प्र0 एसआईएयू ने प्लान फाउन्डेशन, शिमला को यह कार्य सौंपा था।

इस परियोजना के द्वितीय चरण 52.0 कि0मी0 से 63.0 कि0मी0 तक के लिए कुल 538–13–5 बीघा निजी भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है, 10 गांवों में सरकारी भूमि 133–4 बीघा है। राजस्व विभाग के भूमि अभिलेखों के अनुसार प्रभावित भूमि मालिकों को शामिल करते हुए एसआईए आयोजित किया गया था। भूमि व्यक्तिगत/संयुक्त स्वामित्व के अधीन है और 10 गांवों में फैली हुई है। समुदाय के सदस्यों और प्रमुख व्यक्तियों के साथ पीआरए आयोजित करने के अलावा, सभी पीएएफ के लिए एक सर्वेक्षण प्रश्नावली प्रशासित की गई थी। रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशनों के लिए वैकल्पिक स्थलों का अध्ययन किया गया। वर्तमान रेलवे लाइन निर्माण को सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद चुना गया था। इन मुद्दों के आधार पर रेवले लाइन 52.0 कि0मी0 से 63.0 कि0मी0 तक का निर्माण लगभग 6.520 कि.मी. 4 सुरंगों के तहत व 0.110 किलोमीटर पुल पर, नीचे की भूमि उपयोग योग्य होगी व भूमि के अधिग्रहण को कम करेगा। रेलवे लाइन परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण से रोजगार, आय, उत्पादन, स्वास्थ्य और कल्याण, जीवन शैली, समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, पर्यावरण पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, संपत्ति के अधिकार प्रभावित होंगे, और नए भय पैदा होंगे और आकांक्षाएं विकास परियोजनाएं विभिन्न समूहों को अलग तरह से प्रभावित करती हैं। कुछ लोगों को लाभ होता है, दूसरों को नुकसान होता है। अक्सर, कमजोर समूहों के लिए प्रभाव विशेष रूप से गंभीर होते हैं। आदिवासी लोग, महिलाओं के मुखिया वाले घर, बुजुर्ग व्यक्ति, भूमिहीन व्यक्ति और गरीब इससे प्रभावित होते हैं। इस एसआईए में व्यक्ति और समुदाय पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। भूमि और

आजीविका पर प्रभाव, संरचनाएं और सामान्य संपत्ति संसाधन, पर्यावरण, सामुदायिक जीवन शामिल हैं। निर्माण पूर्व, निर्माण के दौरान और बाद में होने वाले प्रभावों को भी विस्तृत किया गया है।

सबसे प्रत्यक्ष और तत्काल प्रभाव वे हैं जो परियोजना निर्माण से जुड़े हैं, मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों, परिवारों, परिवारों और समूहों को मुआवजे और सहायता के माध्यम से शमन प्रदान किया जाता है। ये सामाजिक इकाइयाँ सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने और परियोजना द्वारा अपनाए जाने वाले इस नीतिगत ढांचे के आधार पर मुआवजे और सहायता की हकदार हैं।

एफजीडी के दौरान सभी भूमि मालिक रेलवे परियोजना के लिए अपनी जमीन उपलब्ध कराने के इच्छुक थे। केवल कुछ ही इस आधार पर शंका जता रहे थे कि प्रत्याशित मुआवजा कम होगा। इसके अलावा, भूमि मालिकों द्वारा उचित समय पर समस्या मुक्त मुआवजे की मांग की गई, जिससे भूमि अधिग्रहण के बाद उन्हें अपने नुकसान का एहसास नहीं होगा। एक परेशानी मुक्त भुगतान प्रक्रिया होनी चाहिए क्योंकि उन्हें आशंका है कि भूमि अधिग्रहण के बाद देरी का सामना करना पड़ेगा। यह अनुशंसा की जाती है कि अधिग्रहित भूमि का कब्जा लेने से पहले देय मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए।

सर्वेक्षण के दौरान एकत्र की गई जानकारी पीएएफ के साक्षात्कार पर आधारित है और उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सत्य माना जाता है लेकिन यह स्वामित्व अधिकार का प्रामाणिक संस्करण नहीं है। निजी से संबंधित कुल भूमि क्षेत्र 538–13–5 बीघा (40.54 हेक्टेयर) आता है और भूमि, संरचनाओं और पेड़ों आदि के लिए मुआवजा अधिनियम 2013 की धारा 30 (3) के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

परियोजना अधिकारियों को फीडबैक प्रदान करने के लिए एक निगरानी और मूल्यांकन योजना विकसित करने की आवश्यकता है। आर एंड आर की निगरानी और मूल्यांकन आर एंड आर उद्देश्यों, रणनीतियों और दृष्टिकोणों की सफलता पर प्रतिबिंबित करने और आर एंड आर गतिविधियों, उनके प्रभाव और स्थिरता के कार्यान्वयन में दक्षता और प्रभावकारिता का आकलन करने का अवसर देता है। निगरानी परियोजना से प्रभावित कमजोर परिवारों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, बीपीएल परिवारों, महिलाओं के मुखिया परिवारों, विधवाओं, वृद्धों और शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जैसे समूहों पर विशेष ध्यान देगी।

2. लागत, लाभ और सिफारिशों का विश्लेषण :–

सामाजिक प्रभावों की पहचान करने के बाद, सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें प्रभावों और जोखिमों (निम्न, मध्यम, उच्च) का शमन शामिल होगा और जोखिमों के प्रबंधन के लिए रणनीतियां तैयार की जाएंगी। यह आवश्यक निकाय को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है कि 10 राजस्व गांवों के पीएएफ और समुदायों पर उन प्रभावों के साथ शमन और प्रबंधन रणनीतियों को संरेखित किया गया है। यह योजना पीएएफ की आय को बहाल करने और समुदायों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए आवश्यक निकाय का मार्गदर्शन करती है। इस अध्याय में

प्रस्तुत की जा रही रणनीतियाँ मूल रूप से सार्वजनिक परामर्श और प्रमुख हितधारकों के साथ बातचीत से ली गई हैं। न्यूनीकरण और प्रबंधन रणनीतियाँ सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के दौरान पहचाने गए संचयी प्रभावों को भी संबोधित करेंगी, जहाँ भी उपयुक्त और आवश्यक महसूस किया जाएगा।

2.1 पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन योजना :–

वर्तमान रेलवे लाइन परियोजना के लिए निजी स्वामित्व वाली भूमि और सरकारी (वन और गैर–वन दोनों) भूमि की खरीद की आवश्यकता है। निजी भूमि को उसके वर्तमान स्वामियों से अधिग्रहित किया जाना है। सरकार सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए संपत्तियों के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए अपने अधिकारों का उपयोग कर सकती है जिससे प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक नुकसान के साथ–साथ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक व्यवधान भी होता है। स्वाभाविक रूप से, शामिल लोगों की संख्या जितनी अधिक होगी, व्यवधान और नुकसान की सीमा उतनी ही अधिक होगी। स्वाभाविक रूप से अधिग्रहण करने के सरकार के अधिकार के साथ यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है कि प्रभावित लोगों को किसी परियोजना की लागत का अनुचित हिस्सा वहन नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को लाभ मिले। सरल शब्दों में, यह जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होनी चाहिए कि सभी प्रभावित व्यक्तियों के जीवन स्तर को परियोजना के शुरू होने से पहले प्राप्त स्तर पर बहाल किया जाए। जिस हद तक सरकार सभी प्रभावितों के लिए उन जीवन स्तर को बहाल करने में सफल होती है, प्रतिकूल प्रभावों से बचा जा सकता है या कम किया जा सकता है।

विभिन्न संसाधनों पर परियोजना के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों की घटना होगी, पूरी तरह से मुआवजा और सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे सुधार कर सकें, या कम से कम अपनी पूर्व आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को बहाल कर सकें।

जमीन या घर या दोनों के नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजे के साथ रोजगार की मांग की गई है। लेकिन सभी पीएएफ के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना आवश्यक निकाय के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, जिसे स्थानीय स्तर पर अत्यधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता नहीं हो सकती है। अधिक से अधिक, वे परियोजना के निर्माण के दौरान परियोजना स्थल में और उसके आसपास सीमित संख्या में हाउसकीपिंग, सुरक्षा और अन्य सहायता कार्यों जैसे कार्यों में लीन हो सकते हैं। पीएएफ के लिए रोजगार के पहलुओं पर विचार करते समय, परियोजना प्राधिकरण आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची की धारा संख्या 4 का पालन करेंगे। जहां तक वैकल्पिक आजीविका पैदा करने का संबंध है, पुनर्वास योजना प्रभावित परिवारों को राष्ट्रीय योजनाओ से जोड़ने का प्रयास कर सकती है। कौशल विकास मिशन, भारत सरकार की एक पहल है जो अगले कुछ वर्षों में लाखों भारतीय युवाओं को कुशल बनाने की योजना बना रही है। इससे परियोजना प्रभावित परिवारों के बीच बेरोजगारी और आजीविका के नुकसान की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी।

भूमि अधिग्रहण के आर्थिक प्रभावों में घरों या व्यवसायों की हानि, या व्यावसायिक आय का नुकसान, अस्थायी या स्थायी प्रकृति का होना शामिल है। हालांकि, इन नुकसानों का वास्तविक मूल्यांकन अक्सर एक कठिन प्रक्रिया साबित होती है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों की लागत अधिक जटिल है। आस–पड़ोस बाधित हो जाएगा और ग्रामीण सामाजिक एकता और अनौपचारिक समर्थन प्रणाली से वंचित हो जाएंगे।

हालांकि, उन लोगों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है जो परियोजना अनुमोदन से पहले परियोजना क्षेत्र में रह रहे थे, जिन्होंने प्रस्तावित स्थानांतरण योजना से लाभ उठाने के लिए क्षेत्र पर आक्रमण किया है।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर परियोजना नीति के प्रमुख सिद्धांतों का सार नीचे दिया गया है। :–

1. भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास से बचा गया है क्योंकि प्रस्तावित परिवर्तन के बीच चयनित परियोजना डिजाइन का परियोजना क्षेत्र में पीएएफ और समुदायों पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
2. जो परिवार (समुदाय सहित) संपत्ति खो रहे हैं, आजीविका या संसाधनों को पूरी तरह से मुआवजा और सहायता दी जाएगी ताकि वे सुधार कर सकें, या कम से कम अपनी पूर्व आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को बहाल कर सकें।
3. पीएएफ को मुआवजा और पुनर्वास सहायता प्रदान की जाएगी, अर्थात कोई भी व्यक्ति या घर या व्यवसाय जो प्रस्तावित परियोजना कार्यान्वयन के कारण प्रभावित होगा जैसेः

   (क) जीवन स्तर बुरी तरह प्रभावित

   (ख) किसी भी घर में अधिकार, स्वामित्व या हित, हित, या उपयोग का अधिकार, परिसर, कृषि और चराई भूमि, वाणिज्यिक संपत्ति, किरायेदारी, या वार्षिक या बारहमासी फसलों और पेड़ों या किसी अन्य अचल या जंगम सहित किसी भी भूमि का अधिकार संपत्ति, अर्जित या कब्जा, अस्थायी या स्थायी रूप से

   (ग) आय अर्जित करने के अवसर, व्यवसाय, व्यवसाय, कार्य या निवास स्थान या निवास स्थान अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित या,

   (घ) सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों और संबंधों से प्रभावित या कोई अन्य नुकसान जो पुनर्वास योजना की प्रक्रिया के दौरान पहचाना जा सकता है।
4. सभी प्रभावित लोग मुआवजे और पुनर्वास सहायता के लिए पात्र होंगे, भले ही कार्यकाल की स्थिति, सामाजिक या आर्थिक मानक और किसी भी ऐसे कारक जो ऊपर उल्लेखित उद्देश्यों की उपलब्धि के खिलाफ भेदभाव कर सकते हैं। खोई हुई या प्रतिकूल रूप से प्रभावित कार्यकाल की स्थिति और सामाजिक या आर्थिक स्थिति के लिए कानूनी अधिकारों की कमी, पीएएफ को ऐसे मुआवजे, पुनर्वास या पुनर्वास उपायों के हकदार होने से नहीं रोकेगी।

5. नवीनतम जनगणना और खोई हुई संपत्ति की सूची की तारीख के अनुसार प्रस्तावित परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के भीतर रहने, काम करने, व्यवसाय करने या खेती करने वाले सभी पीएएफ अपनी खोई हुई संपत्ति (भूमि और गैर–दोनों) के लिए आनुपातिक रूप से मुआवजे के हकदार हैं। भूमि संपत्ति) और आय और व्यवसायों की बहालीय और उन्हें उनके पूर्व–परियोजना जीवन स्तर, आय–अर्जन क्षमता और उत्पादन स्तरों को सुधारने या कम से कम बनाए रखने में सहायता करने के लिए पर्याप्त पुनर्वास उपायों के साथ प्रदान किया जाएगा।
6. अस्थायी रूप से प्रभावित लोग और पुनर्वास योजनाएं अस्थायी अधिग्रहण के मुद्दे को संबोधित करेंगी।
7. जहां एक मेजबान समुदाय उस समुदाय में एक पुनर्वास स्थल के विकास से प्रभावित होता है, मेजबान समुदाय किसी भी पुनर्वास योजना और निर्णय लेने में शामिल होगा। मेजबान समुदायों पर पुनर्वास के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।
8. पुनर्वास योजनाएँ अधिनियम 2013 के अनुसार तैयार की जाएंगी। 2013 और 2015 के हि0प्र0 नियम। पीएएफ के संदर्भ के साथ–साथ अन्य इच्छुक समूहों के लिए पुनर्वास योजना का हिंदी में अनुवाद किया जाएगा।
9. भूमि और/या गैर–भूमि संपत्तियों के लिए भुगतान आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 में निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित होगा। पुनर्वास सहायता न केवल तत्काल नुकसान के लिए प्रदान की जाएगी, बल्कि पीएएफ की आजीविका और जीवन स्तर को बहाल करने के लिए आवश्यक संक्रमण अवधि के लिए भी प्रदान की जाएगी। ऐसा समर्थन अल्पकालिक नौकरियों या निर्वाह भत्ता प्रदान करने की अवधि में हो सकता है।
10. पुनर्वास योजना में पुनर्वास के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील लोगों की जरूरतों पर विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुनर्वास योजना और शमन उपायों के आवेदन के दौरान उन पर विचार किया जाए। अधिग्रहण करने वाले निकाय की आर एंड आर नीति के तहत स्वीकार्य सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि उन्हें उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद मिल सके।
11. एसएमपीआईए के हिस्से के रूप में, पीएएफ जो अपनी खेती योग्य भूमि का प्रतिशत खो देते हैं या जिनका घर अधिग्रहण के तहत पूरी तरह से प्रभावित होता है या बी0पी0एल0 स्थिति वाले पीएएफ महिला–प्रधान भूमि खोने वाले या शारीरिक रूप से या जानबूझकर विकलांग, परियोजना अधिकारियों को रोजगार प्रदान करना चाहिए इस तरह के एक परियोजना प्रभावित परिवार के सदस्यों में से एक जहां भी नौकरियां पैदा होती हैं देनी चाहिए।

12. पीएएफ या ग्राम समुदाय पुनर्वास योजनाओं को विकसित करने और लागू करने की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व करेंगे और प्रतिकूल प्रभावों के लिए प्रस्तावित शमन उपाय करेंगे।

13. सहमत कार्यान्वयन अवधि के भीतर भूमि अधिग्रहण (मुआवजे और आय बहाली उपायों सहित) की लागत को कवर करने के लिए परियोजना अधिकारियों द्वारा पर्याप्त बजटीय सहायता पूरी तरह से प्रतिबद्ध और उपलब्ध कराई जाएगी।

14. पुनर्वास के लिए आवश्यक मुआवजे और अन्य स्वीकार्य सहायता के प्रावधान करने से पहले विस्थापन नहीं होना चाहिए। पुनर्वास से पहले पुनर्वास स्थल में पर्याप्त नागरिक अवसंरचना प्रदान की जानी चाहिए। संपत्ति का अधिग्रहण, मुआवजे का भुगतान, और पुनर्वास और पीएएफ की आजीविका पुनर्वास गतिविधियों की शुरुआत, किसी भी परियोजना निर्माण गतिविधियों से पहले पूरी की जाएगी। आजीविका और आय बहाली के उपाय भी बनाए जाने चाहिए क्योंकि इनमें समय लग सकता है, जरूरी नहीं कि निर्माण गतिविधियों से पहले पूरा किया जाए।

15. परियोजना प्राधिकरण को परियोजना गतिविधियों के शुरू होने से पहले पुनर्वास योजना की प्रभावी तैयारी और कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की व्यवस्था करनी चाहिए। इसका मतलब है कि भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास गतिविधियों के पर्यवेक्षण, परामर्श और निगरानी के लिए पर्याप्त मानव संसाधन का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

16. पुनर्वास प्रबंधन प्रणाली के हिस्से के रूप में उपयुक्त निगरानी और मूल्यांकन और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। एक बाहरी निगरानी समूह जिसमें योग्य गैर सरकारी संगठन या संस्थान या विश्वविद्यालय शामिल हो सकते हैं, को परियोजना द्वारा पुनर्वास प्रक्रिया और अंतिम परिणाम के मूल्यांकन के लिए काम पर रखा जा सकता है।

2.2 पात्रता मैट्रिक्स

भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों और नीतियों के अनुपालन में एक एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स विकसित किया गया है। एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स हानियों के प्रकारों और पात्रताओं की संगत प्रकृति और दायरे को सारांशित करता है।

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	पात्रता की इकाई	पात्रता विवरण	विवरण
संपत्ति का नुकसान– शीर्षकधारक				
क्र.सं.	**प्रभाव श्रेणी**	**पात्रता की इकाई**	**पात्रता विवरण**	**विवरण**
1	निजी भूमि	भू–स्वामी	(क) बाजार मूल्य पर भूमि के लिए नकद मुआवजा, जो	

			RFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। (ख) खोई हुई संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए मुआवजे की राशि पर वर्तमान स्टांप शुल्क के बराबर राशि। प्रशिक्षण सहायतारू ग) बारहमासी और गैर–बारहमासी फसलों घ) मवेशी शेड या छोटी दुकानों के प्रतिस्थापन	
निजी संरचनाओं का नुकसान (आवासीय / वाणिज्यिक)				
2	संरचना का नुकसान (आवासीय या संचार या निवास–सह–वाणिज्यिक	जमीन का मालिक / मालिकाना हक	(क) स्वीकार्य मानदंडों के अनुसार वर्तमान दरों के (ख) विस्थापित परिवारों के लिए अधिनियम, 2013 (ग) आरएफसीटीएलएआरआर घर के बदले में किया जा सकता है। (घ) विस्थापित परिवारों के लिए आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के अर्न्तगत 36,000 / – रुपये का निर्वाह भत्ता– (ड़) विस्थापित परिवारों के लिए 50,000 / – रुपय का पुनर्वास भत्ता (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के अर्न्तगत)	
3	किरायेदार और पट्टा धारक	किरायेदार और पट्टा धारक	पंजीकृत पट्टेदार लागू स्थानीय कानूनों के अनुसार संरचना के मालिक को देय मुआवजे के विभाजन के हकदार होंगे।	

आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाओं का नुकसान–गैर शीर्षकधारक				
अवैध कब्जा धारक	प्रभावित व्यक्ति (एकल/परिवार)	क) संपत्ति/फसल को हटाने के लिए अतिक्रमणकारियों को 2 महीने का अग्रिम नोटिस दिया जाएगा। (I) प्रभावित ढांचे से सामग्री के निस्तारण का अधिकार।	–	–

"उपबन्ध–ख"

सूची गांववार तहसील सदर जिला बिलासपुर हि0प्र0।

अधिग्रहण हेतू प्रस्तावित भूमि वावत भानुपल्ली–बिलासपुर–बैरी न्यू ब्रॉड गेज रेलवे लाईन।

क्रम संख्या	गांव/हदबस्त का नाम	तहसील	निजी भूमि		
			रकवा (बीघों मे)	रकवा (हैक 0 मे)	विवरण
1.	नोग/178	सदर	60-6	4.54	
2.	बहली बिला/151		21-9	1.61	
3.	बहली झलेडा/153		4-0	0.30	
4.	भराथू/149		24-3-05	1.82	
5.	बघड़ी/148		22-9	1.69	
6.	बैरी रजादयां/141		0-7	0.03	
7.	खतेड/130		210-2	15.81	
8.	भटेड़ उपरली/129		104-5	7.84	
9.	बरमाणा/128		91-8	6.88	
10.	मण्ड़ी/226		0-4	0.02	
कुल रकवा अधिग्रहण हेतू प्रस्तावित :–			**538-13-05**	**40.54**	